

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1373(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 388 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दी बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रीजेन्ट चैम्बर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र में विद्यालय अंगीकरण योजना और बालवाड़ी परियोजना को एक परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 23 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 303 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रीजेन्ट चैम्बर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र में विद्यालय अंगीकरण योजना और बालवाड़ी परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए तीन करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।